

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2015/454/ जयपुर,दिनांक: 6/11/15

**:: आ दे श ::**


अधीनस्थ सेवा के श्री अहसान अली, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू का दिनांक 17.09.2015 को स्वर्गवास हो जाने पर इन्हे दिनांक 17.09.2015 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापित संबंधित कार्यालय से प्राप्त विभागीय जॉच बकाया नहीं होने के प्रमाण पत्र के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजेन्द्र शोखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. झुंझुनू को उनके पत्रांक 7202 दिनांक 20.10.2015 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनू)
4. ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा (मुख्यालय), को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावे।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त आयुक्त